हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मान-दीलाल / अंकित श्री सहीराम जी	

पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
दौरा ... पधारे है सो पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 22/11/19 को पेश हो।
जवाब द.प्र० 0.9 R.7 CPC पेश की नकल दिलाई।
प्रा० रहे।

22/11/19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
... पधारे है सो पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 27/11/19 पेश हो।

27/11/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब
...टौर... पधारे है। सो पत्रावली
गत आदेशानुसार दिनांक 12/12/19
को पेश हो।

12/12/19 अधि० अप्रार्थी उपस्थित है अधि० प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रा० पत्र 0.9 R.7 CPC स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है सो प्र०पत्र 0.9 R.7 स्वीकार किया जाता है जवाब पेश किया। प्रा० रहे। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी ख.नं. 422 रकबा 0.60 हैक्टे. वाके ग्राम बोदून्दा तहसील येडा/मसिंह में स्थित है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की है प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ता ख.नं. 423/1 रकबा 0.22 हैक्टे. की पश्चिमी मेर से होते हुए लाल रंग से वर्णित स्थान से प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि उक्त में मुल से आते जाते है ख.नं. 423/3268 हैक्टे. गुo चाह है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में है उक्त चाह से वे अपनी आ.ख.नं. 422 की सिंचाई करते है वर्तमान में आराजी ख.नं. 423/1 में नक्शा सीट में रास्ता दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गयी है वे प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आने जाने वाले रास्ते को बन्द करना चाहते है प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विकल्प में अन्य कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 422 रकबा 0.60 हैक्टे. वाके ग्राम बोदून्दा में आने जाने हेतु आ.ख.नं. 423/1 रकबा 0.22 हैक्टे. की पश्चिमी मेर के सहारे-सहारे लाल रंग से दर्शित स्थान से सीट में 15 फिट रास्ता दर्ज करने व रास्ता खुलासा करवाने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण 15 फिट रास्ता की भूमि की कीमत राशि जमा करवाने को तैयार है

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुआ
	प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई है जिस पर अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर मन्दिर श्री सालगराम जी महाराज शाश्वत नाबालिग मूर्ति के विरुद्ध उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आ. ख. नं. 423/1 रकबा 0.22 है० वाके ग्राम बोदून्दा की आराजी में से रास्ता चाहने बाबत नाबालिग मूर्ति से रास्ता चाहता है जबकि उक्त आराजी के पश्चिमी ओर आ. ख. नं. 421/2257 खातेदार की भूमि है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग है इसलिए भगवान सालगराम जी नाबालिग शाश्वत मूर्ति की भूमि से कानूनन कतई रास्ते का हक स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी की आराजी ख. नं. 422 के उत्तरी ओर ख. नं. 348 गै.मु. रास्ता सड़क की भूमि है जिसमें से प्रार्थी अपनी आराजी में आता जाता रहा है धारा 251(A) प्रार्थी व अप्रार्थी भगवान सालगराम जी नाबालिग मूर्ति के मध्य परस्परिक सहमति का भी अभाव है व प्रार्थी ख. नं. 338 गै.मु. रास्ता में से ख. नं. 408/2433 में से अपने आराजी में से सुगमता के रूप से आता जाता रहा है इसलिए प्रार्थी को आराजी ख. नं. 422 में आवश्यकतानुसार आने जाने का रास्ता व वैकल्पिक साधन उपलब्ध आने जाने बाबत प्राप्त होने व प्रार्थी को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता का अभाव होने के कारण धारा 251(A) राज. काश्त. अधि. में अन्तर्गत प्रा० पत्र न्यायालय हाजा में कतई चलने योग्य नहीं है अप्रार्थी की आ. ख. नं. 423/1 रकबा 0.22 है० वाके ग्राम बोदून्दा मंदिर श्री सालगराम जी महाराज के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है मूर्ति शाश्वत नाबालिग है प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए रास्ते/रास्ते के विकल्प उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251(A) के रूप में न्यायालय हाजा में कतई चलने योग्य/स्वीकार योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली	

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुआ
	का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा भी देखा गया। आ. ख. नं. $\frac{422}{0.60}$ वाके ग्राम बोदून्दा मुताबिक राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2072-75 खाता सं. 8 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा आ० ख० नं. 423/1 रकबा 0.22 है० वाके ग्राम बोदून्दा मुताबिक राजस्व रिकार्ड खतौनी संख्या 366 जमाबंदी सम्वत 2072-75 वाके ग्राम बोदून्दा मन्दिर श्री सालिगराम जी महाराज स्थान देव खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है नक्शे के अनुसार अप्रार्थी मंदिर सालगराम जी महाराज की खातेदारी भूमि ख. नं. 423/1 के बिल्कुल अड़ाकर पश्चिमी तरफ ख. नं. 421/2257 स्थित है जो अन्य खातेदारों की होना जाहिर है उसमें से भी प्रार्थीगण अपनी आराजी ख. नं. 422 में आने जाने हेतु रास्ता मांग सकते है जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कर अप्रार्थी म० सालगराम जी महाराज जो कि शाश्वत नाबालिग हैं उनकी खातेदारी की भूमि में से होकर रास्ता चाहते है जो उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है मूर्ति शाश्वत नाबालिग म० सालगराम जी महाराज की खातेदारी भूमि में से होकर प्रार्थीगण को कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है इस प्रकार यह भी जाहिर है कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये है जानबूझकर मूर्ति सालगराम जी महाराज की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहते है जिसके प्रार्थीगण कानूनन हकदार नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। आदेश आज दिनांक 12/12/2019 को विवृत न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक) (... नेगी) उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह	